संख्या-23/2018/739/46-1-18-1701/2017

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 अप्रैल, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत चीनी आयुक्त के अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-05/लेखा-बजट(चीनी)/2018-2019, दिनांक 03 अप्रैल 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत चीनी आयुक्त का अधिष्ठान व्यय हेतु लेखा शीर्षक-2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू. 1485.11 लाख के सापेक्ष धनराशि रू. 1477.11 लाख (रू. चौदह करोड़ सत्हत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) का निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखा शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न मानक मद	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि	मांग की धनराशि
01-वेतन	1099.42	1099.42
03-मंहगाई भत्ता	109.94	109.94
04-यात्रा व्यय	10.00	10.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
06-अन्य भत्ते	56.00	56.00
07-मानदेय	0.20	0.20
08-कार्यालय व्यय	5.00	5.00
09-विद्युत देय	9.00	9.00
10-जलकर/जलप्रभार	0.20	0.20
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.00	3.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.00	4.00
13-टेलीफोन पर व्यय	3.00	3.00
14-मोटर गाडियों का क्रय	8.00	00.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

15-वाहन अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद आदि	5.00	5.00
16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए	1.00	1.00
17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	50.00	50.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.30
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.10
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	3.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5.00	5.00
49-चिकित्सा व्यय	6.60	6.60
51-वर्दी व्यय	0.10	0.10
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	104.25	104.25
योग-	1485.11	1477.11

(रू. चौदह करोड़ सत्हत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र)

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये।

7- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान" के उपर्युक्त उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2018/739(1)/46-1-18-तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।

3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)

7- चीनी उद्योग अनुभाग-2/3

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है